राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डी.पी.आई.पी.

प.2(47)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2006 जयपुर, दिनांक 4.5.2007

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

दिनांक 04.5.2007 को 11.30 बजे अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की नवीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय।
2. शासन सचिव, वित्त, सचिवालय।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय।
5. शासन सचिव, आयोजना विभाग, सचिवालय।
6. महाप्रबन्धक (वित्त), डीपीआईपी।
7. अतिरिक्त निदेशक, डीपीआईपी।
8. उप निदेशक, डीपीआईपी।
9. प्रबन्धक (पी.ए.), डीपीआईपी।

बैठक में एजेण्डावार निम्नानुसार चर्चा की गईः–

<u>बिन्दु संख्या –1</u>

<u>आठवीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–</u>

उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

<u>बिन्दु संख्या –2</u>

<u>आठवीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति में लिये गये निर्णयों की क्रियान्वितिः–</u>

<u>8.2. ACTION TAKEN REPORT ON MINUTES OF THE 7TH EC MEETING</u>

The Action Taken Report on minutes of the 7th Empowered Committee meeting was approved by the Empowered Committee with the following observations :-

Item no. 7.9 :- The project should strive that the benefits of "Medicare Card Scheme" and the "Jeevan Rakasha Kosh Scheme" must reach the BPL families, who are members of CIGs. This work should be assigned to the NGO staff for regular follow up and implementation.

निर्णयः–

इस बिन्दु पर यह निर्देश प्रदान किये गये कि CMIS में उपलब्ध Convergence की सूचना अवलोकन हेतु शासन सचिव के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत की जावे। साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि जिस गैर सरकारी संस्था के कार्यक्षेत्र में गठित समान रूचि समूहों के सदस्यों को उपरोक्त लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसकी सूचना मेडिकल विभाग को भिजवाई जावे।

8.6. Approval of TOR for :

(a) Consultancy for content Development and Documentation

(b) Design Layout camera Ready/ digital art work and Printing Assignment.

निर्णयः–

उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रगति का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश प्रदान किये गये कि धीमी प्रगति एवं शेष रही सीमित परियोजना अवधि को देखते हुये इस कार्य पर विशेष ध्यान देते हुये गति प्रदान की जावे।

बिन्दु संख्या –3

(अ) परियोजना की मार्च– 2007 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :–

निर्णयः–

मार्च 2007 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. समान रूचि समूहों को प्रस्तुत कार्य योजनानुसार राशि हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. शेष रहे उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों की स्थिति को समिति द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा निर्देश दिये गये कि उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन 25 मई से प्रारम्भ होने वाले जल अभियान के दौरान विशेष अभियान चलाकर पूर्ण

किया जावे। साथ ही सभी जिला इकाईयों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जावे।

3. समान रूचि समूहों के बैंक लिंकेज एवं ग्रेडिंग का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक समूहों का बैंक लिंकेज किया जावे। जिससे कि उनके व्यवसाय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

(ब) <u>वर्ष 2007–08 की कार्य योजना :–</u>

<u>निर्णयः–</u>

कार्ययोजना का अवलोकन किया गया तथा कार्य योजनानुसार लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश प्रदान किये गये।

<u>बिन्दु संख्याः– 4</u>

<u>परियोजना की अवधि 31.12.07 तक बढ़ाये जाने के क्रम में :–</u>

<u>निर्णयः–</u>

उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विश्व बैंक के पत्र दिनांक 2.3.2007 का अवलोकन किया गया। साथ ही परियोजना के शेष रहे कार्यो के लिये प्रस्तुत कार्य योजना का अवलोकन पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि डीपीआईपी में कार्यरत सभी गैर सरकारी संस्थाओं एवं सेवा प्रदाताओं का अनुबन्ध उनके अनुरोध पर, सहमति पश्चात् दिनांक 31.12.2007 तक, पूर्व अनुबन्ध दिनांक 30.6.2007 में वर्णित शर्तो को यथावत रखते हुये बढ़ा दिया जावे। जिससे कि गैर सरकारी संस्थायें एवं सेवा प्रदाताओं डीपीआईपी के साथ हुये अनुबन्धानुसार शेष स्वीकृत कार्यो को 31.12.07 तक पूर्ण कर सके। इस बढ़ी हुई अवधि के लिये गैर सरकारी संस्थाओं एवं सेवा प्रदाताओं को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। केवल अनुबन्धानुसार टास्क पूर्ण करने पर टास्क आधार पर भुगतान किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्देश भी प्रदान किये गये कि जिन समूहों ने गुणवत्ता एवं स्थायित्व अनुबन्ध के अन्तर्गत बी–श्रेणी प्राप्त कर ली है, उनको भी ए– श्रेणी में लाने के प्रयास किये जाये तथा समान रूचि समूहों के उत्पादों की बाजार उपलब्धता (मार्केट लिंकेज) सुनिश्चित की जावे।

बिन्दु संख्याः– 5

कृषि उत्पाद प्रोड्यूसर (केवट कृषक संगठन डीपीआईपी) का अनुमोदन प्रस्तावः

निर्णयः–

उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श पश्चात् कृषि उत्पाद प्रोड्यूसर (केवट कृषक संगठन डीपीआईपी) कम्पनी के लागत 7.96 लाख रू. के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, साथ ही स्वीकृति से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर मार्ट सेवा प्रदाता द्वारा आंकलन करने हेतु निर्देशित किया गयाः–

1. किसानों को उत्पाद/ raw material प्रोड्यूसर कम्पनी के माध्यम से क्रय/ विक्रय करने से वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कितना लाभ होगा।
2. प्रोड्यूसर कम्पनी के आगामी तीन वर्षो के रोकड़ प्रवाह (Cash Flow) का आंकलन समाविष्ट किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं को समाविष्ट कर उक्त प्रस्तावों का राज्य परियोजना निदेशक को स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया।

राज्य परियोजना निदेशक,
डीपीआईपी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
3. शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
6. शासन सचिव (आयोजना), जयपुर।
7. सभी अधिकारी, एसपीएमयू, डीपीआईपी, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, डीपीआईपी